बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 171 ● नई दिल्ली ● बुधवार 22 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

खरगे ने प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, फिर सफाई में कहा- वो डराते हैं

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों के केंद्र में हैं। दरअसल एक रैली में उन्होंने पहले पीएम मोदी की तुलना आतंकवादी से कर दी। हालांकि बाद में सफाई देते हुए पना बचाव किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी माहौल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग को और भी तीखा कर दिया है। चेन्नई में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने अलाइमुक के भाजपा के साथ गठबंधन करने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि अलाइमुक के लोग मोदी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, जबकि वे समानता और न्याय में विश्वास नहीं रखते।

समय से पहले लू ने दी दस्तक, अप्रैल में हुई जून वाली गर्मी, तपती धूप से बेहाल हुए लोग

नई दिल्ली । दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और अब समय से पहले ही लू ने दस्तक दे दी है। ऐसे में सोमवार को लोगों को अप्रैल के महीने में जून वाली गर्मी महसूस हुई। तपती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। इससे लोगों का हाल बेहाल रहा और वह परेशान दिखे। मौसम विभाग ने पूरे दिन लू का यलो अलर्ट जारी किया हुआ था। इस दौरान अधिकतम तापमान 39.5 और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले पांच दिनों के दौरान दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री की वृद्धि होगी, जिसके चलते लू की स्थिति बन सकती है। अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक से लेकर सामान्य से बहुत अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 20 से 24 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 41 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 25 डिग्री के आसपास रहेगा। इस दौरान आसमान अधिकतर साफ रहेगा और कई जगहों पर लू चलने की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में मौसम विभाग ने हीट वेव का यलो अलर्ट जारी किया है। 25 और 26 अप्रैल को तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, जहां अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

लू से निपटने को दिल्ली के अस्पताल तैयार

राजधानी में लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए लू (हीट स्ट्रोक) से निपटने के लिए अस्पतालों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) में हीट स्ट्रोक यूनिट को सक्रिय कर दिया गया है, वहीं

अन्य सरकारी अस्पतालों ने भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम शुरू कर दिए हैं। आरएमएल अस्पताल के इमरजेंसी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. अमलेंदु यादव ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए अस्पताल पूरी तरह अलर्ट है। हीट स्ट्रोक यूनिट में मरीजों के उपचार के लिए विशेष टब की व्यवस्था की गई है, जिसमें करीब 150 लीटर पानी और 50-55 किलोग्राम बर्फ के साथ मरीज को 20-25 मिनट तक रखा जाता है, ताकि शरीर का तापमान तेजी से कम किया जा सके। जरूरत पड़ने पर मरीज को वेंटिलेटर और वार्ड में शिफ्ट किया जाता है।

टैको तकनीक से भी देते हैं उपचार

अस्पताल में 'टैको' (टेपॉलिन असिस्टेड कूलिंग ऑप्टिकलेशन) तकनीक से भी इलाज की तैयारी की गई है। इस तकनीक के तहत मरीज को तिरपाल में लिटाकर ठंडा किया जाता है।

इसके लिए एसी युक्त मोबाइल हीट स्ट्रोक एंबुलेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं लोकनायक अस्पताल और जीटीबी अस्पताल में भी हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने की योजना बनाई गई है। डॉक्टरों की टीम को अलर्ट कर दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उपचार दिया जा सके।

हीट वेव के लिए सरकार तैयार नहीं - देवेंद्र

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव के लिए तैयार न रहने का दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने मौसम विभाग के यलो अलर्ट का हवाला देते हुए कहा कि यदि 22 से 24 अप्रैल के बीच तापमान 43 डिग्री तक पहुंचता है तो सरकार के पास इससे निपटने की योजना नजर नहीं आ रही।पिछले साल सरकार ने हीट वेव से निपटने के लिए बड़े स्तर पर घोषणाएं की थीं, लेकिन पूरे सीजन में उनका असर जमीन पर दिखाई नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार भी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। देवेंद्र यादव ने कहा कि हीट वेव का सबसे ज्यादा असर फुटपाथों, झुग्गियों, आश्रय गृहों और खुले स्थानों पर रहने वाले गरीब लोगों तथा फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ता है। यादव ने कहा कि पिछले वर्ष 3000 वाटर कूलर, कूलिंग शेल्टर और शेड लगाने की घोषणाएं की गई थीं, लेकिन इन्हें लागू करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।

जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, महिला आरक्षण पर सोती रही सरकार, अब परिसीमन से जोड़ा

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बार-बार की मांगों के बावजूद, विवादास्पद परिसीमन प्रक्रिया से महिलाओं के आरक्षण को जोड़कर जानबूझकर इसके कार्यान्वयन में देरी कर रही है। एक्स पर एक पोस्ट में, रमेश ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के पूर्व पत्रों का हवाला देते हुए आरक्षण को तत्काल लागू करने की पार्टी की निरंतर मांग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी ने 16 जुलाई, 2018 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की थी। आठ साल बाद भी, प्रधानमंत्री परिसीमन से जोड़कर आरक्षण के कार्यान्वयन में देरी करने के इच्छुक हैं और उन्होंने अभी तक इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की है। रमेश ने पहले के प्रयासों को याद करते हुए

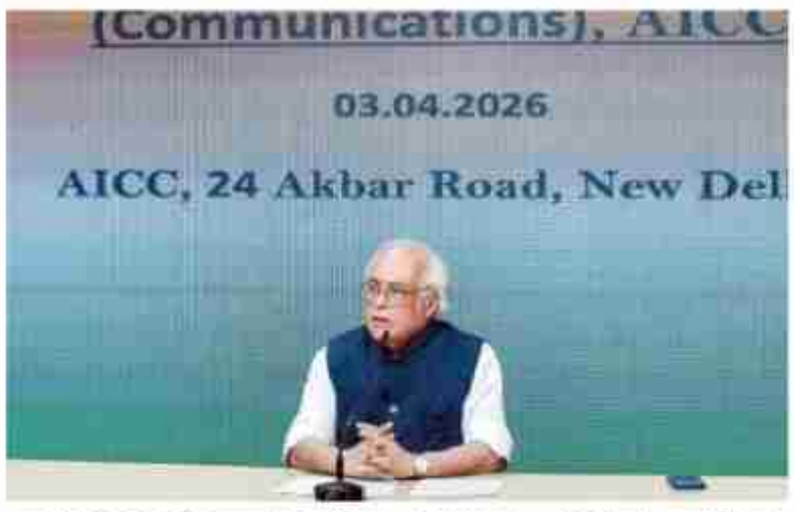

कहा कि 2017 में, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी ने भी महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। कांग्रेस पार्टी का रुख अडिग और अपरिवर्तित रहा है। यह मोदी सरकार ही है जिसने इस मांग पर ध्यान नहीं दिया और फिर परिसीमन से जोड़कर इसमें देरी करने की कोशिश की। ये टिप्पणियां संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के अपेक्षित दो-तिहाई बहुमत प्राप्त न कर पाने के बाद आई हैं। विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्टि की कि विधेयक पारित नहीं हुआ, जिसके बाद सरकार ने संबंधित परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पर आगे कार्रवाई न करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करना था, जिसमें महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण शामिल था।

साथ ही, इसके कार्यान्वयन को 2011 की जनगणना के आधार पर होने वाले भविष्य के परिसीमन अभ्यास से जोड़ा गया था इस बीच, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को प्रस्तावित परिसीमन का बचाव करते हुए इसे अपरिहार्य- बताया और कहा कि इससे किसी भी राय के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस और डीएमके द्वारा इसके विरोध की आलोचना की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, नायडू ने राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के इस दावे को खारिज कर दिया कि विपक्ष ने परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को पराजित कर दिया है।

रोड-शो में रेखा गुप्ता ने टीएमसी के सिंडिकेट राज को दी सीधी चेतावनी, कहा- दीदी की विदाई तय, बंगाल में अब खिलेगा कमल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है। मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रेखा गुप्ता ने आसनसोल दक्षिण से पार्टी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के समर्थन में एक विशाल रोड-शो किया। इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और राय में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। रोड-शो की झलकियां सोशल मीडिया पर साझा करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि 2026 का यह चुनाव केवल सरकार बदलने के लिए नहीं, बल्कि बंगाल की आत्मा को बचाने के लिए है। उन्होंने कहा आसनसोल की जनता का यह जनसैलाब स्पष्ट संदेश दे रहा है कि ममता दीदी का जाना और टीएमसी की विदाई अब निश्चित है। यह चुनाव बंगाल को सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार, भय, हिंसा और तुष्टीकरण से मुक्त कराने का चुनाव है। टीएमसी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि जनता के साथ अन्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

मैंने कोर्ट में अपनी बात रख दी है..., जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के फैसले पर आया केजरीवाल का बयान

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कथित शराब घोटाला मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के हटने की मांग खारिज होने के बाद कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि तमिलनाडु में व्यस्तता के कारण उन्होंने कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ा है। वे चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं कल यहां था। मुझे वापस जाकर आदेश पढ़ना होगा। मैंने अदालत में अपनी बात रख दी है, इसलिए मैं इससे आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। केजरीवाल ने कथित शराब घोटाला मामले में जस्टिश शर्मा को मामले से हटाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने उनके बच्चों को केंद्र सरकार के वकील के रूप में नियुक्त किए जाने से हितों के टकराव का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि इससे पक्षपात की आशंका पैदा होती है। इसी बीच, भाजपा सांसद बंसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी प्रमुख ने न्यायपालिका की एक महिला सदस्य पर दबाव डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल दबंग हैं। उन्होंने देश की न्यायपालिका की एक महिला सदस्य पर दबाव डालने की कोशिश की। न्यायपालिका पर दबाव बनाने की उनकी राजनीति को खारिज करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले को स्थानांतरित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब यह साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी एक नाटक कंपनी है और अरविंद केजरीवाल इस कंपनी के निदेशक हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोप अनुमान पर आधारित थे और पूर्वाग्रह की उचित आशंका के कानूनी मानक को पूरा नहीं करते।

क्या जन्म या वंश के आधार पर भगवान को छूने से रोकना संवैधानिक है, सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सबरीमाला अयप्पा मंदिर के मुख्य पुजारी से पूछा कि क्या संविधान उस भक्त की मदद के लिए आगे नहीं आएगा जिसे देवता को छूने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब आई जब मुख्य पुजारी ने कहा कि कोई भक्त पूजा के लिए मंदिर जाता है, तो वह देवताओं की विशेषताओं के विपरीत नहीं हो सकता। नौ जजों की संविधान पीठ धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें केरल के सबरीमाला मंदिर का मामला भी शामिल है। साथ ही, पीठ कई धर्मों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और विस्तार पर भी सुनवाई कर रही है। इस पीठ में चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बीवी नागरत्ना, एमएल सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमनुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज महीस, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्य बागची शामिल हैं। मुख्य पुजारी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील वी गिरि ने दलील दी कि किसी मंदिर में होने वाले समारोहों और रीति-रिवाजों की प्रकृति उस धर्म का एक अभिन्न अंग होती है, और इसलिए उसे एक धार्मिक प्रथा माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रथा जारी रखना, जो एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है, पूजा के अधिकार का ही एक हिस्सा होगा। यह अधिकार उस धर्म या संप्रदाय में विश्वास रखने वाले हर सदस्य के लिए है। गिरि ने कहा, ÷जब कोई भक्त पूजा के लिए मंदिर जाता है, तो वह देवता की विशेषताओं के विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य ही देवता की पूजा करना होता है। भक्त देवता में समाहित दिव्य आत्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित होता है। उसे देवता की मूल विशेषताओं को स्वीकार करना ही होता है। एक सवाल पूछते हुए जस्टिस अमनुल्लाह ने कहा, जब मैं किसी मंदिर में जाता हूं, तो मेरा मूल विश्वास यह होता है कि वही भगवान हैं, वही मेरे रचयिता हैं, उन्होंने ही मुझे बनाया है-है ना मैं वहां सौ प्रतिशत विश्वास के साथ जाता हूं। मैं पूरी तरह से समर्पित होता हूं, मेरे दिल में किसी भी तरह की कोई अशुद्धि नहीं होती। और ऐसे में, मुझे यह कहा जाता है कि मेरे जन्म, मेरी वंश-परंपरा या किसी विशेष परिस्थिति के कारण, मुझे हमेशा के लिए देवता को छूने की इजाजत नहीं है। तो अब, क्या संविधान मेरी मदद के लिए आगे नहीं आएगा जस्टिस अमनुल्लाह ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि रचयिता और उसकी रचना के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता। गिरि ने जवाब दिया कि अगर किसी के पुजारी बनने पर पूरी तरह से रोक है, तो उसका समाधान या तो अनुछेद 25(2)(b) के तहत कानून बनाकर किया जाएगा, या फिर राज्य खुद इसका समाधान करेगा। उन्होंने कहा, अगर पुजारी का मतलब वह व्यक्ति है जिसे शास्त्रों में यह सिखाया गया हो कि पूजा कैसे करनी है और देवता की आराधना कैसे करनी है;।

महिला आरक्षण के दांव-पेंच

मोदी सरकार का नया महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में गिर चुका है, जिसके लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता थी। जाहिर है कि सत्तारूढ़ एनडीए की 543 सदस्यीय लोकसभा में कुल संख्या 293 होने की वजह से यह विधेयक तब तक पारित नहीं हो सकता था जब तक कि विपक्ष के सांसद इसका समर्थन न करते। अतः विपक्ष के विरोध करने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका। मगर विपक्षी नेता राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव व सुश्री ममता बनर्जी तक यह घोषणा कर रहे हैं कि वे महिला आरक्षण के हक में हैं और उनके द्वारा ताजा आरक्षण विधेयक-2026 का विरोध चुनाव क्षेत्र परिसीमन से जुड़ा हुआ है। यहां यह समझने की जरूरत है कि विपक्ष के विरोध करने के मूल तर्क क्या हैं? पहला तर्क यह है कि 2023 में ही महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है। उस समय समूचे विपक्ष ने इसका समर्थन किया था और विधेयक सर्वसम्मति से दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) में पारित हुआ था। अतः कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सरकार को नया विधेयक लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे वह सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंशा को बता रही हैं और कह रही हैं कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर देश भर के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन अपनी राजनीतिक सहूलियत के आधार पर कराना चाहती है और उल्टे विपक्ष को बदनाम करना चाहती है। इसी के समानान्तर राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन इस प्रकार कराने की योजना बना रही है जिससे इसका राज कभी खत्म ही न हो। हालांकि समूचे विपक्ष की राय यही है मगर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का यह कहना है कि महिलाओं के लिए किये जा रहे 33 प्रतिशत आरक्षण में पिछड़े वर्ग व मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण हो। भारत का संविधान चूंकि धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है अतः मुस्लिम स्त्रियों के आरक्षण का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार नया महिला संविधान संशोधन आरक्षण विधेयक 2026 क्यों लाई जबकि पुराना 2023 का विधेयक जीवित था? इस बारे में भाजपा का तर्क है कि पुराने कानून में यह कहा गया था कि 33 प्रतिशत आरक्षण देश में नई जनगणना के बाद होने वाले चुनाव क्षेत्र परिसीमन के बाद ही हो सकता है अतः 2029 तक के चुनावों तक आरक्षण को लागू करने हेतु चुनाव परिसीमन जल्दी होना चाहिए और यह 2011 की जनगणना के आधार पर कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 850 कर दी जानी चाहिए और उसमें से 33 प्रतिशत आरक्षण दे देना चाहिए। विपक्ष इसके जवाब में कह रहा है कि पहले तो यह 850 का आंकड़ा कहां से आया और दूसरे वर्तमान सदस्य संख्या 543 में ही महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता? (हालांकि गृहमन्त्री श्री अमित शाह ने बढ़ी हुई संख्या का फार्मूला भी सदन में खोल दिया) वैसे 2023 में भी विपक्ष ने यही मांग की थी मगर तब सरकार ने इसे जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ दिया था। वैसे देश में जनगणना का दो चरणीय काम शुरू हो चुका है। पहले चरण में कुल घरों की जनगणना की जायेगी और दूसरे में प्रत्येक नागरिक की गणना के साथ ही उसकी जाति भी पूछी जायेगी। मगर यह कार्य 2027 के आखिर तक ही पूरा हो पायेगा। इसके बाद परिसीमन का काम शुरू होगा। पेंच केवल इतना सा है कि मोदी सरकार इस परिसीमन से छुटकारा पाते हुए सीधे 2011 की गणना के आधार पर परिसीमन आयोग गठित करके चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण चाहती थी जो कि विपक्ष को मंजूर नहीं था। इसके साथ ही गृहमन्त्री श्री अमित शाह यह आश्वासन भी दे रहे थे कि लोकसभा में उत्तर व दक्षिण के राज्यों की आनुपातिक संख्या बढ़ी हुई लोकसभा सदस्य संख्या में बरकरार रखी जायेगी। इसके साथ ही दक्षिण भारत की प्रमुख द्रमुक व वामपंथी पार्टियां जमकर विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि सरकार की असली मंशा चुनाव क्षेत्र परिसीमन की है वरना वह अपने ही पुराने कानून की जगह नया कानून बनाने पर क्यों आमादा होती। जहां तक पुराने 2023 के महिला आरक्षण का कानून का सम्बन्ध है तो वह जीवित है क्योंकि मोदी सरकार ने नये विधेयक को लोकसभा में विपक्ष का समर्थन न मिलते देख इसी गत 16 अप्रैल की रात से लागू कर दिया है। अतः यह स्पष्ट होना चाहिए कि महिला आरक्षण का कानून भारत में जिन्दा है जिसका क्रियान्वयन 2027 की जनगणना के बाद बनने वाले परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद होगा। मजेदार तथ्य यह भी है कि 2023 में विपक्ष आरक्षण को नये परिसीमन से जोड़े जाने का विरोध कर रहा था मगर तब मोदी सरकार इस पर अड़ी हुई थी । इसके बावजूद विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया था।

फिलहाल भारत के पांच राज्य चुनावी मुद्रा में हैं जिनमें से दो तमिलनाडु व प. बंगाल में चुनाव आगामी 23 व 29 अप्रैल को होने हैं अतः इन राज्यों में सत्तारूढ़ व विपक्षी दल महिला आरक्षण को एक मुद्दा बना सकते हैं और एक-दूसरे पर अपने-अपने तर्कों के अनुसार आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं। हालांकि पूरे मामले में बीसियों कानूनी पेंच हैं मगर इस पूरे मामले को इस तरह भी समझ सकते हैं कि महिला आरक्षण का कानून 2023 में बन चुका है मगर यह 2029 के बाद ही लागू हो सकेगा क्योंकि तब तक जनगणना के बाद बनने वाले परिसीमन आयोग का काम पूरा नहीं हो पायेगा। इसलिए इस मुद्दे पर सरकार अपना सिर ऊंचा रख रही है और विपक्ष कह रहा है कि देर किस बात की। मौजूदा लोकसभा सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत आरक्षण दे दो और 2023 के कानून में संशोधन कर दो। अब तो जनता ही इन दांव-पेंचों को खोल सकती है। देखिये लाती है उस शोख की नखवत क्या रंग उसकी हर 'बात' पे हम 'नामे खुदा' कहते हैं।

किसी को गाली देने पर होगा जुर्माना

हाल ही में मध्य प्रदेश के जिला बुरहानपुर के पास के गांव बोरसर के बारे में खबर पढ़ी। इस गांव की आबादी 6 हजार से अधिक है। गांव के सरपंच अतर सिंह, उप सरपंच विनोद शिंदे और एक अभिनेता अश्विन पटिल को लगता था कि उनके गांव में लोग गाली-गलौच बहुत करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी पंचायत और गांव के लोगों से मिलकर एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत यदि गांव में कोई व्यक्ति गाली देता पाया जाता है, तो उसे 500 रुपए जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे। एक महीने तक गांव में झाड़ू भी लगानी पड़ेगी। यह एक अच्छी पहल है, अन्य जगहों पर भी शुरू की जानी चाहिए। अपने यहां तो लोग बात-बेबात, कहीं भी गाली देते हैं-जैसे रास्ता चलते, बस, रेल, साइकिल, रिक्शा किसी की भी सवारी करते। घूमते-फिरते, घर, दफ्तर। कई बार गाली से बात इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट और हत्या तक की नौबत आ जाती है। इन दिनों तो फिल्मों और ओ.टी.टी. पर आने वाले तमाम कार्यक्रमों में भी प्रचुर मात्रा में गालियां दी जा रही हैं। कई बार तो इन कार्यक्रमों में इतनी गाली-गलौच होती है कि घर में परिवार के साथ बैठकर इन्हें देखा-सुना नहीं जा सकता। अगर इनकी आलोचना की जाए, तो कहा जाता है कि हम तो वही दिखा रहे हैं, जो समाज में हो रहा है। बच्चे भी खूब गालियां देते दिखते हैं, क्योंकि वे वहीं से सीखते हैं, जो अपने परिवार और परिवार के बाहर देखते-सुनते हैं। आजकल तो साइबर क्राइम के भी ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां अपने शिकार को खूब गालियां दी जाती हैं। एक बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में मौखिक परीक्षा के दौरान एक प्रोफेसर द्वारा भी गालियां दी गई थीं। एक बात और, स्त्री और पुरुषों की गालियों में भी भेद है। पुरुष तो जहां स्त्री संबंधी रिश्तों, स्त्री अंगों को गालियों में समाहित करते हैं, वहीं स्त्रियों द्वारा

इस दुनिया के वे देश, जो अमरीका के सामने कुछ नहीं हैं, वे बात नहीं मान रहे। गालियों के समाज शास्त्री अध्ययन भी हुए हैं। इनके अनुसार यह शक्ति संतुलन, ऊंच-नीच, जिसे पदानुक्रम कहते हैं, समूह की एकजुटता और गाली देकर किसी का अपमान करने और उसे छोटा करने से जुड़ा है।

दी जाने वाली गालियां कुछ अलग होती हैं। जैसे कि तू रांण (विधवा) हो जाए। क्योंकि समाज में विधवा होना आज भी स्त्री के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है या कि तेरा नाश हो जाए, तुझे कांधा उठाने वाला भी कोई न मिले, तू कलमुंही, कुलच्छिनी, करमजली है। तू निपूती ही रहे (जिसका कोई पुत्र न हो)। तेरा खसम (पति) मिट जाए। ध्यान से देखें तो ये सब भी वही हैं, जो किसी न किसी तरह पुरुष वर्चस्व की दुनिया ने उन्हें सौंपी हैं। गाली कमजोर का अस्त्र कही जाती है। जो समाज में आपसे अधिक ताकतवर है, जिसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसे गाली देकर मन की तसल्ली करते हैं। दशकों पहले ब्रज प्रदेश में लड़की की शादी के वक्त जब बारात घर की छत या घर के आंगन में दावत खा रही होती थी, उसे ज्योनार कहते थे।

घर और अड़ोस-पड़ोस की सारी स्त्रियां, खाना पकाती जातीं और दूल्हे के माता-पिता, भाई, बहन, नाते-रिश्तेदारों को जी भरकर गालियां देती जातीं। इन गालियों का कोई बुरा नहीं मानता था। बल्कि बाराती गाली सुन-सुनकर मुस्कुराते, हंसते थे। यहां यह बात गौरतलब है कि लड़के वालों का दर्जा समाज में लड़की वालों से ऊंचा माना जाता है। शादी से पहले, शादी के बाद और यहां तक कि ताउम्र उनकी मांगों और नखरों को लड़की वालों को झेलना पड़ता है। ऐसे में उन्हें गाली देना अपने मन की भड़ास को भी निकालना है। इन दिनों तो कई बार टी.वी. बहसों के दौरान गालियां दी जाती हैं, या मुंह पर आते-आते रह जाती हैं। कई बार तो लोकसभा और सदन के अन्य हिस्सों के बारे में भी ऐसी खबरें आती हैं। और तो और, अमरीका के राष्ट्रपति, जो अपने को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कहते हैं, गाली देते देखे जा रहे हैं। पिछले दिनों युगांडा के एक बड़े सैन्य अधिकारी का भी वीडियो देखा, जो तुर्किए से एक अरब डालर और सुंदर लड़कियों की मांग कर रहा है। ऐसा न होने पर तुर्किएए के विनाश की धमकी और अपशब्द कह रहा है। गालियों के समाज शास्त्र में यह उलटा चलन दिखाई दे रहा है, जहां ताकतवर कमजोर को गालियों से नवाज रहा है। यानी कि अपनी चिढ़ और झुंझलाहट को निकाल रहा है। इस दुनिया के वे देश, जो अमरीका के सामने कुछ नहीं हैं, वे बात नहीं मान रहे। गालियों के समाज शास्त्री अध्ययन भी हुए हैं। इनके अनुसार यह शक्ति संतुलन, ऊंच-नीच, जिसे पदानुक्रम कहते हैं, समूह की एकजुटता और गाली देकर किसी का अपमान करने और उसे छोटा करने से जुड़ा है। गाली देने वाला हमेशा उससे अपने को ऊंचा समझता है, जिसे गाली दे रहा है। अक्सर गालियां कुल, जाति या समाजिक स्थिति से जुड़ी होती हैं। ये किसी को उसकी कमतरी का अहसास कराने के लिए भी दी जाती हैं। ये उन समूहों द्वारा दी जाती हैं, जो सामाजिक रूप से किसी न किसी तरह से सत्ता में होते हैं। अधिकांश गालियों के केंद्र में स्त्रियां होती हैं क्योंकि उन्हें पुरुषों से नीचा माना जाता है। कई बार दोस्तों के बीच निकटता दिखाने के लिए भी गालियां दी जाती हैं। दुख या दर्द कम करने के लिए भी। गाली किसी भी वजह से दी जाए, है तो वह अपशब्द ही। इसलिए मध्य प्रदेश के गांव की पहल देश के अन्य स्थानों पर भी होनी चाहिए।

सम्पादकीय...

ट्रम्प और पोप के बीच का संघर्ष अभूतपूर्व

राष्ट्रपति ट्रम्प और पोप लियो 14वें के बीच का संघर्ष अभूतपूर्व है। हालांकि पोपों ने पहले भी राजनीति पर टिप्पणी की है लेकिन पोप के प्रति ट्रम्प का व्यक्तिगत अपमान असामान्य है। हालांकि रिपोर्टों से पता चलता है कि उनके लहजे में नरमी आई है, फिर भी उनकी बेचैनी स्पष्ट है। अमरीकी इतिहास के 250 वर्षों में किसी भी राष्ट्रपति ने किसी पोप पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं किया है। इस तरह के सार्वजनिक मतभेद केवल भ्रम पैदा करते हैं। ट्रम्प ने ईरान के संबंध में अमरीका और इजराईल की कार्रवाइयों की पोप द्वारा आलोचना किए जाने के बाद सार्वजनिक रूप से पोप लियो 14वें की निंदा की। इसने एक महत्वपूर्ण टकराव को चिन्हित किया। राष्ट्रपति ट्रम्प और पोप लियो 14वें के बीच का संघर्ष एक दुर्लभ टकराव को उजागर करता है, जिसमें राजनीतिक शक्ति और धार्मिक प्रतीकवाद का मिश्रण है, जो जनमत और धार्मिक समुदायों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। ट्रम्प ने कहा, ''मुझे पोप के साथ असहमत होने का अधिकार है।'' उन्होंने दावा किया, ''पोप ने एक बयान देते हुए कहा कि 'ईरान के पास परमाणु हथियार हो सकता है।' मैं कहता हूं 'ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता।'' हालांकि एक रिपोर्टर ने उल्लेख किया कि पोप लियो ने सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। पोप लियो ने व्यक्त किया कि उन्हें 'ट्रम्प प्रशासन का कोई डर नहीं है' और वह ईश्वर के संदेश के बारे में बोलना जारी रखेंगे। कैथोलिक, सबसे बड़े स्विंग वोटिंग समूह के रूप में, इस विवाद से प्रभावित हैं, जो उनके मतदान निर्णयों को प्रभावित कर सकता है और भविष्य के चुनाव परिणामों को आकार दे सकता है। पवित्र सप्ताह के दौरान तनाव चरम पर था। ट्रम्प ने कॉन्क्लेव की भी आलोचना करते हुए तर्क दिया कि लियो को चर्च द्वारा 'ट्रम्प की उपस्थिति का मुकाबला करने' के लिए 'चुना' गया था। इसके तुरंत बाद, ट्रम्प ने खुद को बीमारों को ठीक करने वाले क्राइस्ट के रूप में दिखाते हुए एक ए.आई.-जेनेरेटेड छवि साझा की लेकिन बाद में उन्होंने इसे 'एक डॉक्टर के रूप में' दिखाने के लिए कहकर हटा दिया। बयान देने वाले सभी प्रमुख कार्डिनल और बिशप पोप का समर्थन और ट्रम्प की आलोचना कर रहे हैं। श्वेत कैथोलिकों के बीच राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग फरवरी 2025 में 59 प्रतिशत से गिरकर जनवरी 2026 में 36 प्रतिशत हो गई और हिस्पैनिक कैथोलिकों के बीच यह 31 प्रतिशत से गिरकर 23 प्रतिशत हो गई। तनाव तब बढ़ गया जब ट्रम्प ने पोप लियो पर 'अपराध के प्रति नरम और विदेश नीति में अप्रभावी' होने का आरोप लगाया, जो संभवतः उनकी आप्रवासन नीतियों में अधिक करुणा के लिए कैथोलिक नेताओं की अपील के जवाब में था। ट्रम्प ने दावा किया कि लियो ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का समर्थन किया और सोशल मीडिया पर अपने हमले तेज कर दिए, यह कहते हुए कि 'क्या कोई कृपया पोप लियो को बताएगा कि ईरान ने पिछले 2 महीनों में कम से कम 42,000 निर्दोष, निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मार डाला है?'

केंद्रीय सतर्कता आयोग- दंतहीन शेर या आशा की किरण?

सभी जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। सरकारी मशीनरी में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 1964 में स्थापित केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) आज भी भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई का प्रमुख हथियार माना जाता है लेकिन हाल के वर्षों में सीवीसी के पास लंबित मामलों की संख्या ने चिंता का विषय बना दिया है। सीवीसी की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट (जो 31 अगस्त 2025 को जारी की गई और 31 दिसंबर 2024 तक के आंकड़ों पर आधारित है) के अनुसार, सीबीआई द्वारा जांचे गए 7,072 भ्रष्टाचार के मामले अदालतों में लंबित हैं, जिनमें से 379 मामले 20 वर्षों से अधिक पुराने हैं। 2,660 मामले 10 वर्ष से ज्यादा लंबित हैं। यह आंकड़ा न केवल न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति को दर्शाता है, बल्कि सीवीसी की निगरानी वाली पूरी व्यवस्था की कमजोरियों को भी उजागर करता है। विभागीय जांच, अनुशासनिक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति में देरी के कारण आम नागरिक का भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों में विश्वास डगमगाता जा रहा है। गौरतलब है कि सीवीसी स्वयं जांच एजेंसी नहीं है। यह शिकायतों की समीक्षा करता है, विभागीय मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) को निर्देश देता है और सीबीआई को जांच सौंपता है। लेकिन वास्तविक कार्यवाही अन्य एजेंसियों पर निर्भर है। पहला कारण है मानव संसाधनों की कमी। सीवीसी के पास सीमित स्टाफ है, जबकि केंद्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों में हजारों मामले आते हैं। सीवीओ अक्सर अंशकालिक होते हैं और उनके पास अन्य जिम्मेदारियां भी होती हैं। दूसरा, प्रक्रियागत देरी। प्रारंभिक जांच से लेकर प्रमुख दंड की अनुशंसा तक कई चरण हैं। सीवीसी ने 2020 में समय-सीमा निर्धारित की थी, लेकिन मंत्रालय अक्सर अभियोजन स्वीकृति में देरी करते हैं। 2024 रिपोर्ट में ही 46 संगठनों से 200 मामले अभियोजन स्वीकृति के लिए

गौरतलब है कि इन रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या इंजीनियरिंग व बैंकिंग सेवाओं के अधिकारियों के पास 30-40 वर्ष की सेवा का अमूल्य अनुभव है। वे विभागीय प्रक्रियाओं की बारीकियां जानते हैं। कौन सा नियम किस तरह का 'लूपहोल' पैदा करता है, फाइल कैसे घुमाई जाती है, टेंडर में घोटाला कैसे होता है। वे दस्तावेजों को देखकर तुरंत अनियमितताएं पकड़ लेते हैं, जो युवा अधिकारियों को मुश्किल लगती है। सेवानिवृत्त अधिकारी सीवीओ के रूप में या सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं।

लंबित बताए गए। तीसरा, अदालती लंबितता। भारत में कुल 5.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। भ्रष्टाचार के मामले जटिल होते हैं। साक्ष्य इकट्ठा करना, गवाहों की उपलब्धता और राजनीतिक दबाव, आदि इन सबके कारण ट्रायल सालों तक खिंच जाते हैं। चौथा कारण संस्थागत।

सीवीसी की सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं। 2024 में 23 महत्वपूर्ण मामलों में विभागों ने सीवीसी की सलाह को कमजोर कर दिया या नजरअंदाज कर दिया। यह स्थिति 'विनीत नारायण' मामले (1998) में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा सीवीसी एक्ट, 2003 बना। कोर्ट ने सीवीसी को स्वायत्तता देने के लिए कहा था, लेकिन कानून में इसे पर्याप्त दांत नहीं दिए गए। नतीजा-सीवीसी को 'दंतहीन शेर' कहा जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट के 'विनीत नारायण' फैसले ने सीवीसी को 'वैधानिक निकाय' का दर्जा दिलाया। चयन समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं, ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप रोका जा सके। लेकिन पी जे थॉमस मामले (2011) में कोर्ट ने 'संस्थागत अखंडता' पर जोर दिया। फिर भी आज सीवीसी को दंतहीन क्यों माना जाता है? क्योंकि सीवीसी में सीबीआई को स्वतंत्र जांच का अधिकार नहीं दिया गया। यह सीबीआई पर निर्भर है, जो स्वयं राजनीतिक दबाव में आ सकती है। सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, इसलिए विभाग अनुशासनिक कार्यवाही में अपनी मर्जी चला सकते हैं। सीवीसी की सीमा 'ग्रुप ए' अधिकारियों और पीएसयू तक सीमित है। मंत्रियों और सांसदों पर इसका अधिकार नहीं। संसाधनों की कमी, स्टाफ की अपर्याप्तता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी ने इसे कमजोर बना दिया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इरादे को कानून ने पूरा नहीं किया, नया गठन स्वायत्तता का दिखावा भर है। सवाल उठता है कि समस्या जटिल है, लेकिन क्या समाधान संभव है? जहां चाह वहां राह, सीवीसी ने पहले ही ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इसमें सभी विभागीय जांचों को सीवीसी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए और.ई आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाए, ताकि हर चरण की समय-सीमा की निगरानी हो। सीवीसी की 2020 की गाइडलाइंस को कानूनी रूप दें, अभियोजन स्वीकृति 3 महीने में अनिवार्य हो। देरी पर विभागीय अधिकारियों पर दंड का प्रावधान हो।भ्रष्टाचार के मामलों के लिए विशेष अदालतें बढ़ाई जाएं और सीबीआई-सीवीसी मामलों को प्राथमिकता दी जाए। सीवीसी को अधिक टेक्निकल एग्जामिनर्स और जांच अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। सीवीसी सिफारिशों को आंशिक रूप से बाध्यकारी बनाया जाए, जैसे प्रमुख दंड की अनुशंसा को केवल उच्च स्तरीय समिति ही बदल सके। उल्लेखनीय है कि जब भी किसी विभाग से कुछ उम्मीद की जाती है तो वो हमेशा मानव संसाधनों की कमी का बहाना बनाते हैं परन्तु शायद सीवीसी जैसे बड़े संगठनों को इस बात की जानकारी नहीं है कि देश भर में सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक अनूठी ताकत है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। गौरतलब है कि इन रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या इंजीनियरिंग व बैंकिंग सेवाओं के अधिकारियों के पास 30-40 वर्ष की सेवा का अमूल्य अनुभव है। वे विभागीय प्रक्रियाओं की बारीकियां जानते हैं। कौन सा नियम किस तरह का 'लूपहोल' पैदा करता है, फाइल कैसे घुमाई जाती है, टेंडर में घोटाला कैसे होता है। वे दस्तावेजों को देखकर तुरंत अनियमितताएं पकड़ लेते हैं, जो युवा अधिकारियों को मुश्किल लगती है। सेवानिवृत्त अधिकारी सीवीओ के रूप में या सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं। वे प्रशासनिक कार्यप्रणाली को खूब समझते हैं, इसलिए अनुशासनिक कार्यवाही में उचित सलाह दे सकते हैं। जो कि न्यायसंगत लेकिन सख्त साबित हो सकती है। सीवीसी को एक 'रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एडवाइजरी पैनल' बनाना चाहिए, जहां अनुभवी अधिकारी पार्ट टाइम आधार पर जटिल मामलों की समीक्षा करें। इससे न केवल लंबितता कम होगी, बल्कि युवा स्टाफ को मेंटरशिप भी मिलेगी। उनकी निष्पक्षता और अनुभव सीवीसी को विश्वसनीय बनाएगा। सीवीसी में लंबितता सिर्फ आंकड़ों की समस्या नहीं, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता की समस्या है। सुप्रीम कोर्ट के 'विनीत नारायण' के फैसले ने जो सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए सीवीसी एक्ट में संशोधन जरूरी है। सेवानिवृत्त नौकरशाहों को सक्रिय रूप से जोड़कर, डिजिटल ट्रैकिंग और बाध्यकारी सिफारिशों से सीवीसी को मजबूत बनाया जा सकता है तभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और 'दंतहीन शेर' सच्चा शिकारी बनेगा। सरकार, न्यायपालिका और नागरिक समाज को मिलकर इस दिशा में कदम उठाने होंगे। अन्यथा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना अधूरा रह जाएगा।

क्या हैं मोसाद, हिजबुल्लाह, हूती?

अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध में इन तीनों देशों व अन्य 13 खाड़ी देशों से उठते हुए बारूदी धुएं की पृष्ठभूमि में एक और इबारत भी दर्ज है। हमारा परिवेश सिर्फ ट्रम्प, नेतन्याहू व दो-चार ईरानी नेताओं के बयानों व मीडिया-वार्ता से अटा पड़ा है। मगर युद्ध की पूरी इबारत कुछ ऐसे संगठनों द्वारा रची गई है जिन्हें जानना वर्तमान पीढ़ी के लिए भी महत्वपूर्ण है। इनकी कार्यशैली से ही पता चल पाता है कि हम जो कुछ आज भोगने पर विवश हैं, उसकी पृष्ठभूमि में यही आधा दर्जन संगठन हैं जो किसी भी पीढ़ी, देश या कालखण्ड के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। इन आधा दर्जन संगठनों में प्रमुख हैं हिजबुल्लाह, मोसाद और हूती। हिजबुल्लाह अपने आप में एक स्वतंत्र संगठन है। इसका समूचा तंत्र लेबनान के ही एक भाग से संचालित है और इसका पूरा लक्ष्य इजराइल की तबाही है। मगर पहले 'मोसाद' में झांक लें। मोसाद इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। यह दुनिया की सबसे सक्षम, खूंखार और चतुर खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है। वर्षों पूर्व 13 दिसंबर, 1949 को स्थापित यह एजेंसी इजराइल के बाहर जासूसी, आतंकवाद-विरोधी और गुप्त अभियानों के लिए स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य इजराइल के अस्तित्व की रक्षा करना है, जिसके लिए यह किसी भी हद तक जाने में सक्षम है।

स्थापना और कार्य - 'मोसाद' का हिब्रू भाषा में अर्थ 'संस्थान' है। यह देश की सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और गुप्त गतिविधियां चलाने का काम करती है।

कुछ चर्चित हैरतअंगेज मिशन- मोसाद ने अपने इतिहास में कई ऐतिहासिक मिशन अंजाम दिए हैं, जैसे 1960 में अर्जेंटीना से नाजीयुद्ध अपराधी एडॉल्फ आइकमैन को पकड़ना।

म्यूनिख ओलंपिक का बदला - 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में मारे गए इजराइली एथलीटों का बदला लेने के लिए मोसाद ने कई सालों तक आतंकवादी गुट 'ब्लैक सितंबर' के सदस्यों को दुनियाभर में खोज कर मार गिराया। इस अभियान को 'ईश्वर का कहर' (रैथ ऑफ गोड) कहा जाता है।

महिला जासूसों की भूमिका - मोसाद ने अपने अभियानों में महिलाओं का इस्तेमाल भी बहुत चतुराई से किया है।

किलिंग-मशीन - मोसाद पर विदेशी जमीन पर हत्याएं करने के आरोप लगते रहे हैं, जिसकी वजह से इसे 'किलिंग मशीन' भी कहा जाता है।

ईरान के खिलाफ अभियान - मोसाद, ईरान के भीतर भी गहरी पैठ रखता है, जिसमें ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाना शामिल है। इस संगठन का इतिहास ऐसे ही और विवादास्पद ऑपरेशनों से भरा है, जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी एजेंसियों में से एक बनाता है। इजराइल चारों ओर से 13 मुस्लिम देशों से घिरा है। ऐसे में छोटे से इस देश को जिंदा रहने के लिए ही काफी जतन करना होता है। मोसाद इतनी शक्तिशाली है कि इसे इजराइल की 'किलिंग मशीन' तक कहा जाता है। चारों ओर दुश्मनों से घिरे इस देश की ये एजेंसी अपनी तेजी और खतरनाक ऑपरेशनों की वजह से दुनिया की सबसे तेज इंटेलिजेंस भी मानी जाती है। इसका मुख्यालय तेल अवीव शहर में है। यह अपने देश की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक वैसे ही जैसे भारत की 'रॉ' है। इसका जन्म आतंकवाद से लड़ने के लिए किया गया था। इस संगठन के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है। अधिकतर जानकारियां गुप्त हैं। इसके लिए उन्हीं का चयन होता है जो इजराइल के लिए काम कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और भी आतंकवाद विरोधी इकाइयां जैसे कि 'यामाम' और 'सीरियट मातकाल' हैं जो इजराइल की विशेष ही आतंकवाद-निरोधक इकाइयां हैं।

हिजबुल्लाह - हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान से समर्थन प्राप्त शिया इस्लामी अर्धसैनिक संगठन है। वर्ष 1992 से इसकी अगुवाई हसन नसरुल्लाह कर रहे हैं। हिजबुल्लाह शब्द का अर्थ है- अल्लाह का दल है। वर्ष 1980 के दशक की शुरुआत में लेबनान पर इजराइली कब्जे के दौरान ईरान की वित्तीय और सैन्य सहायता से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। ये दक्षिणी लेबनान में पारंपरिक रूप से कमजोर शियाओं की रक्षा करने वाली ताकत के रूप में उभरा। इसकी वैचारिक जड़ें 1960 और 1970 के दशक में लेबनान में शिया पुनरुत्थान तक जाती हैं। वर्ष 2000 में इजराइल से पीछे हटने के बाद हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य टुकड़ी इस्लामिक रेजिस्टेंस को मजबूत करना जारी रखा। यह संगठन 'रेजिस्टेंस ब्लॉक पार्टी' के प्रति अपनी वफादारी के चलते धीरे-धीरे लेबनान की राजनीतिक व्यवस्था में इतना अहम बन गया कि इसने देश की कैबिनेट में वीटो शक्ति तक हासिल कर ली। हिजबुल्लाह पर वर्षों से इजराइली और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए बमबारी और षड्यंत्र रचने का आरोप लगता रहा है। पश्चिमी देश, इजराइल, अरब खाड़ी देशों और अरब लीग हिजबुल्लाह को 'आतंकवादी' संगठन मानते हैं। वर्ष 2011 में जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ तो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद के कट्टर समर्थक माने जाने वाले हिजबुल्लाह ने अपने हजारों एजेंटों को बशर अल-असद के लिए लड़ने के लिए भेजा। विद्रोहियों के कब्जे में जा चुके हिस्सों, खासतौर पर पहाड़ी लेबनानी सीमा के पास वाले इलाकों को वापस पाने में ये काफी निर्णायक साबित हुआ। इसी क्रम में तीसरे स्थान पर हूती है। हूती आंदोलन (अंसार अल्लाह) की स्थापना मुख्य रूप से 1990 के दशक (लगभग 1992-1994) में उत्तरी यमन के सादा प्रांत में हुई थी। इसके संस्थापक हुसैन अल-हूती थे जो जायदी शिया संप्रदाय से थे।

स्थापना वर्ष -1990 के दशक की शुरुआत (पूर्ववर्ती संगठन (युवा ब्रिगेड) के रूप में 1992, और पूरे संगठन के रूप में 1994 में हुई।

स्थापना की जगह - सादा प्रांत, उत्तरी यमन।

उद्देश्य - शुरुआत में जायदी परंपराओं को पुनर्जीवित करना और सरकार के खिलाफ विद्रोह करना जो बाद में यमन के गृहयुद्ध में बदल गया। मुख्य नेताहुसैन अल-हूती ने इस आंदोलन की नींव रखी जिसे बाद में सितंबर 2004 में यमनी सरकार ने ही मार दिया था मगर इस संगठन की पहचान इसी नाम से बन गई।

वैचारिक पृष्ठभूमि - यह एक शिया मिलिशिया समूह है जो खुद को 'अंसार अल्लाह' (ईश्वर के समर्थक) कहता है। वर्ष 2014 के बाद से, इन्होंने राजधानी साना सहित यमन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। इन तीनों संगठनों के अलावा विश्व में इस समय अमेरिका की एफबीआई, सीआईए और नेवी सील सरीखी एजेंसियां चर्चा में रहती हैं। इसी शृंखला में रूस की केजीबी, भारत की 'रॉ', 'आईबी', पाकिस्तान की 'आईएसआई', ब्रिटेन की 'स्काटलैंड-यार्ड' आदि भी चर्चा में बनी रहती हैं। पूरी दुनिया को यह इने-गिने संगठन ही अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। विषय विस्तृत है। शेष फिर कभी।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पैंचशीला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/...)

दंपति की हत्या के मामले में छह के खिलाफ केस

मुरादाबाद।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चक्कर की मिलक में सोमवार रात हुई दंपति की हत्या के मामले में छह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह मुकदमा हत्याकांड के शिकार राजा के भाई की तहरीर पर लिखा गया है। थाना सिविल लाइन के मोहल्ला नाला(चक्कर की मिलक) निवासी राजा(32) ढलाई का काम करता था। सोमवार रात राजा और उसकी पत्नी फरहा(27) की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के बस डीआईजी मुनिराज जी, एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की थी। बाद में शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया था। इस मामले में राजा के भाई शुऐब ने पुलिस तहरीर देकर बताया कि उसके सगे भाई राजा ने बैंक्वेट हॉल सचालक फहीम व नवाब से 1 साल पहले एक प्लाट 2 लाख 24 हजार रुपये में खरीदा था। राजा ने 2 लाख रुपये इन लोगों को दे दिए थे और 24 हजार बकाया थे।

शुऐब के अनुसार, राजा के छोटे बेटे का पेट का ऑपरेशन होना था जिस कारण राजा इन लोगों के बकाया पैसे नहीं दे पाया था।आरोप लगाया कि फहीम, आरिफ व नवाब उससे लगातार पैसों की मांग कर रहे थे। इसके लिए परेशान भी कर रहे थे। आरोप लगाया कि सोमवार रात करीब करीब 8 बजे फहीम का बेटा

एक आरोपी गिरफ्तार

फरजन्द, अपने चचेरे भाई और साथी अनस को लेकर राजा के घर में घुस आया। आरोपियों ने राजा से रुपयों का तकादा किया तो राजा और उसकी पत्नी फरहा ने रुपयों का इन्तजाम न होने की बात कही और थोड़े दिन में पैसे देने को कहा। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने राजा व फरहा की चाकू से हमला कर और गला काट कर हत्या कर दी। पास ही खेल रहे ब'चों ने उसे भागते हुए देखा तो शोर मचाया। शुऐब के अनुसार, ब'चों की चीख सुनकर वह मौके पर पहुंचा तो फरजन्द, अनस व फहीम का भतीजा चाकू व छुरी वही फेंक कर भाग गए। इसके बाद उसने 112 नंबर पर काल करके पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी फहीम, उसके बेटे फरजंद, आरिफ, अनस व नवाब समेत पांच नामजद और फहीम के अज्ञात भतीजे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

मासिक संकुल बैठक में दीं महत्वपूर्ण जानकारियां

मुरादाबाद।

न्याय पंचायत रतनपुर कला, विकासखंड कुंदरकी की मासिक संकुल बैठक का आयोजन प्राथमिक विद्यालय गंगवारी में किया गया। बैठक की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के समक्ष, उपस्थित एआरपी, संकुल शिक्षकों एवं उपस्थित शिक्षकों के द्वारा दीप प्र'वलन एवं पुष्प अर्पित करके की गई। बैठक में आगे एआरपी भावना सिंह,संकुल शिक्षक विनीत कुमार गुप्ता, राजीव कुमार गुर्जर, दीपक गोले,अनिल कुमार गुप्ता एवं शाजिया इशराक ने पूर्व एजेंडा अनुसार सीख की विषय वस्तु, हमारे प्रयास, अभिनव गतिविधि, संदर्शिका का उपयोग, बाल वाटिका, नवीन नामांकन एवं स्कूल चलो अभियान के संबंध में विस्तार से बताया। संकुल बैठक में धर्मेंद्र प्रताप सिंह,बृज किशोर, रियाज मोहम्मद, अजय सिंह,अनीश अहमद, चंद्रपाल सिंह, अनवर साजिद,शिल्पी, ऋतुशर्मा,खुशबू चौहान सहित कई शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन अभिनव अग्रवाल ने किया। अंत में विद्यालय के प्रधानअध्यापक मनोज कुमार त्यागी ने सभी का आभार व्यक्त किया।

उर्स-ए-ताजुश्शरिया के मौके पर कोहाड़ापीर पर लगा स्वास्थ्य शिविर

बरेली।

598 लोगों का स्वास्थ्य चेकअप व खून की जांच कर मुफ्त दवाईयां वितरित की गई।
38 लोगों के मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन कराए जाएंगे।

उर्स-ए-ताजुश्शरिया के मौके पर आज कोहाड़ापीर फय्याज बिल्डिंग के पास निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मरकज ए अहले सुन्नत वेलफेयर ट्रस्ट(मरकज ऐड) के तत्वाधान में सुबह 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक किया गया। जिसमें शहर के प्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण कर मुफ्त दवाईयां वितरित की गई। शिविर का उद्घाटन ट्रस्ट के सदर अल्हाज़ मोहसिन हसन खान व हस्सान रज़ा ने करते हुए कहा कि हमारी संस्था का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के निचले तबके तक स्वास्थ्य व शिक्षा पहुंचाना है। उर्स में मज़हबी प्रोग्राम होते है साथ ही सामाजिक कार्य के लिए ये काम भी जरूरी है। आगे कहा कि ऐसे ज़रूरतमंद जो लोग प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना चाहते है या मंहगी जांचे कराना चाहते है और आर्थिक तंगी के कारण नहीं करा पाते है उन लोगों की जांच आज शिविर में कराई गई।

जिसमें विटामिन डी, विटामिन 12, थायरायड, यूरिक एसिड,कैल्सियम, लिपिड प्रोफाइल, सीबीसी व शुगर की फ्री जांच कराई गई। मोहसिन हसन खान ने बताया कि लोगों की सहूलियत के लिए शहर के अन्य स्थानों पर भी इस तरह के शिविर जल्द आयोजित किए जाएंगे। शिविर प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षत बॉस ने 196 लोगों की आंखों की जांच की जिसमें 43 लोगों के मोतियाबिंद पाया गया। 36 लोगों का मुफ्त ऑपरेशन संस्था द्वारा और 07 लोगो के आयुष्मान द्वारा राजेंद्र नगर के कैलाश आई हॉस्पिटल में अलग

अलग तिथियों में कराया जायेगा। डॉक्टर संजीव कुमार(थायरॉयड, शुगर, गंभीर रोग विशेषज्ञ),डॉक्टर अबू सईद(नाक,कान व गला विशेषज्ञ) डॉक्टर शरिक सिद्दीकी (दंत रोग विशेषज्ञ),डॉक्टर कहकशां खान(स्त्री रोग विशेषज्ञ), डॉक्टर मुजाहिद खान व डॉक्टर सूर्य नारायण(जरनल फिजिशियन) आदि ने स्वास्थ्य परीक्षण कर किया। लोगों को स्वास्थ के प्रति जागरूक करते हुए ज़रूरी सलाह दी। शिविर में नेत्र परीक्षक जितेंद्र सिंह,चांद बाबू, गोदपाल यादव,मुनीश शर्मा,इमरान रज़ा, संजू रस्तोगी,शाहनवाज रज़ा, आफताब रज़ा,साजिद रज़ा,जुनैद रज़ा, मुजफ्फर रज़ा,शरिक बरकाती, हाजी अजहर बेग रिजवान रज़ा,उवैस खान आदि का विशेष सहयोग रहा।

पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कालेज की छात्राओं ने रैली निकाल दिया शिक्षा का संदेश

बहराइच। शहर के गेंदघर स्थित पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कालेज बहराइच की छात्राओं ने स्कूल चलो अभियान के तहत जनसंपर्क रैली निकालकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। रैली का उद्देश्य कक्षा 9 में अधिक से अधिक छात्राओं का नामांकन सुनिश्चित करना व बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना तथा अभिभावकों को इसके प्रति सचेत करना रहा। रैली के दौरान छात्राओं ने पढ़ी-लिखी नारी घर-घर की उजियारी, हर बच्चे को पढ़ाएंगे शिक्षा अधिकार हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे प्रमुख नारे लगाए। यह रैली विद्यालय से शुरू होकर गुलाम अलीपुरा आदि वार्डों से विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः विद्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। अभिभावकों ने जगह-जगह रैली का स्वागत कर उत्साहवर्धन किया। प्रधानाचार्य मधु यादव (पी0ई0एस0) ने बताया कि अभियान का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ना और अधिक से अधिक नामांकन सुनिश्चित करना है।सभी लोगों के सहयोग के बिना यह लक्ष्य संभव नहीं है।प्रवक्ता प्रतिमा कुमारी ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है।विद्यालय से बाहर बच्चों का

चिन्हांकन कर उनका नामांकन कराया जा रहा है।तथा शासन द्वारा मिलने वाली सुविधाएं यूनिफॉर्म, बैग, मध्याह्न भोजन, निशुल्क पुस्तके, एक्सपोजर विजिट आउट ऑफ स्टेट, ब्यूटी वेलनेस कोर्स,5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली छात्राओं को 6 हजार रूपये प्रतिवर्ष छात्राओं को धनराशि व सनेटरी पैड हेतु 300 रुपये छात्राओं के खाते में आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।इस अवसर पर राबिया अंसारी, कीर्ति गोस्वामी, ममता यादव सहित शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित रहे।

सपा में शामिल होने पर किया सलीम अख्तर का सम्मान

मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की हुकूमत में काबीना मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता इंजीनियर हाजी सलीम अख्तर के स्वागत का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उनका स्वागत फूल मालाओं से शहर के मोहल्ला मुगलपुरा दोयम में स्थित पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मरहूम अतहर खान की बैठक में किया गया। स्वागत के दौरान हाजी सलीम अख्तर (अलीग) ने दावा करते हुए कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार आना तय है। पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनेगी। अवाम भाजपा की सरकार से तंग आ चुकी है और वो इस बार हर हाल में सत्ता परिवर्तन चाहती है।समाज के हर वर्ग ने महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और विकास के झूठे वादों से निजात पाने के लिए अपना मन बना लिया है। प्रदेश के जनता उम्मीद भरी निगाहों से इंडिया गठबंधन की ओर देख रही है। स्वागत करने वालो में क्षेत्र के कांग्रेस पार्षद मोअज़्ज़म अली, खालिद खान उर्फ भाई मियां, एसएम फ़िरदौसी, सय्यद एहतिशाम अली ,हाजी मशकूर हसन,क़ौसर खान, राहत खान,फ़हीम खान, इक़बाल खान,मुहम्मद फ़ारूक़ आदि शामिल रहे।

सेवानिवृत कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने दस सूत्रीय मांगों को लेकर दिया एक दिवसीय धरना

बहराइच।

सेवानिवृत कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा बहराइच की ओर से 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया गया।शहर के कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर आज सेवा निवृत कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा बहराइच ने अपनी मांगों को लेकर एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया।यह कार्यक्रम संगठन के संयोजक सरदार सरजीत सिंह की अध्यक्षता में हुआ।जिसमें सैकड़ो कर्मचारी एवं पेंशनर्स मौजूद रहे।मालूम हो कि केंद्रीय आठवें वेतन आयोग के लागू होने की तिथि के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण सहित अन्य सुविधाएं व लाभ दिए जाने संबंधी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया गया।संगठन के अध्यक्ष आरसी चौधरी ने सरकार की पेंशन विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की तथा सरकार द्वारा वित्त विधेयक लाकर पेंशनर्स के मध्य जो विभेद पैदा करने का प्रयास किया गया है इसकी आलोचना करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि अगर यह विधेयक

शीघ्र वापस ना लिया गया तो देशभर में सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा।राजस्व पेंशनर्स कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष तौकीर अहमद व मंत्री श्री प्रकाश मिश्रा ने प्रदेश सरकार से अविलंब 18 माह के रुके हुए महंगाई राहत का तत्काल भुगतान कराए जाने की मांग की, वन विभाग कर्मचारी पेंशनर्स संघ के जिला अध्यक्ष राम शंकर सिंह ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि पेंशनर्स को आयकर से मुक्त रखा जाए तथा राशिकरण की कटौती 10 वर्षों पर बंद कर दी जाए।पुलिस कल्याण संस्था के उपाध्यक्ष अजमत अली ने मांग की है कि पेंशनरों के हितों की अनदेखी सरकार ना करें,क्योंकि पेंशन की धनराशि उनके वेतन का अंश होता है।इस कार्यक्रम में सीडी क्लेडियस,आरके वर्मा, हनुमान प्रसाद गुप्ता,अवधेश प्रसाद यादव,मोहम्मद नासिर खान, गयासुद्दीन ,सलीम अहमद, ईश्वर चंद्र ,राजेंद्र प्रसाद पांडे,पीएन पाठक ,देवी दयाल श्रीवास्तव, ओंकारनाथ, मोहम्मद अनीस व भवानी शंकर आदि सैकड़ो लोग मौजूद रहे। इस धरने का संचालन संगठन के जिला मंत्री इंजीनियर आर पंडित मशरिकी की ने किया।

पेंशन को आयकर से मुक्त रखे जाने पर दिया ज़ोर

मुरादाबाद।

सेवानिवृत कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जिला इकाई ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम माधव उपाध्याय को पेश किया गया जिसमें पुराने पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग से बाहर रखे जाने पर चिंता प्रकट की गई। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई है कि पेंशन को आयकर से मुक्त रखा जाए पेंशनरों के राशिकरण की कटौती 10 वर्ष पर बंद कर दी जाए 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष पर पांच प्रतिशत पेंशन की वृद्धि की जाए एवं पुराने पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग की सभी सुविधाएं प्रदान की जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष यादराम सिंह के अलावा जिला मंत्री ओमपाल सिंह, देशराज सिंह, राजेंद्र सिंह, ओम प्रकाश शर्मा मंजू लता शर्मा एवं नीलम शर्मा सहित अनेक पेंशनर्स मौजूद रहे।

वाहन से होने वाले प्रदूषण पर विधानसभा सख्त, परिवहन मंत्री और आयुक्त को भेजा पत्र, मांगा हिसाब-किताब

नई दिल्ली। दिल्ली में वाहन प्रदूषण पर विधानसभा ने सख्त रुख अपनाया है। लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त को पत्र भेजकर जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। विभागों से 31 दिसंबर 2026 तक किए गए काम का ब्योरा मांगा गया है, जिसे 31 जनवरी 2027 तक विधानसभा सचिवालय में जमा करना होगा। दिल्ली में वाहन जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण विषय पर आधारित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट और लोक लेखा समिति (पीएसी) की तीसरी रिपोर्ट अब संबंधित विभागों को भेज दी गई है। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग के सचिव सह आयुक्त को औपचारिक पत्र भेजा है। इसमें समिति की सिफारिशों पर समय पर कार्रवाई करने और प्रगति रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, विभागों को 31 दिसंबर तक किए गए काम की स्थिति स्पष्ट करनी होगी और 31 जनवरी तक कार्रवाई रिपोर्ट विधानसभा सचिवालय को सौंपनी होगी।

विधानसभा अध्यक्ष ने रिपोर्ट पर जताई चिंता

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए सिर्फ छोटे कदम काफी नहीं हैं। इसके लिए सभी विभागों को मिलकर और तय समय सीमा में काम करना होगा। ऑडिट रिपोर्ट में कई ऐसी खामियां सामने आई हैं, जिन्हें अब दूर करना जरूरी है। रिपोर्ट में वायु गुणवत्ता निगरानी व्यवस्था की कमियों पर चिंता जताई गई है। बताया गया कि कई जगह पर्याप्त मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं हैं, सभी जरूरी प्रदूषकों की नियमित जांच नहीं हो रही और भरोसेमंद उत्सर्जन डेटा की कमी है। इससे सही नीति बनाने में दिक्कत आती है। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में बसों की कमी, सीमित रूट कवरेज, कमजोर लास्ट माइल कनेक्टिविटी और रूट सुधार योजनाओं में देरी के कारण लोग निजी वाहनों पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। इसका सीधा असर ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों पर पड़ता है। वाहनों की जांच व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। पीयूसी केंद्रों की सीमित उपलब्धता, प्रमाणपत्र जारी करने में गड़बड़ी, उत्सर्जन जांच की कमजोर निगरानी और नई तकनीक के धीमे इस्तेमाल का मुद्दा उठाया गया है। इसके अलावा पुराने वाहनों की बड़ी संख्या और उन्हें हटाने या स्क्रैप करने की धीमी प्रक्रिया को भी चिंता का कारण बताया गया है।

रिपोर्ट में बेहतरी के भी विकल्प

रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने और उत्सर्जन जांच व्यवस्था मजबूत करने जैसे कदमों का जिक्र भी किया गया है। लेकिन कहा गया कि अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी से इन योजनाओं का असर सीमित रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली को वाहन प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए मजबूत निगरानी, नियमों का सख्त पालन, सार्वजनिक परिवहन का विस्तार, स्वच्छ वाहनों को बढ़ावा और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन जरूरी है। उन्होंने सभी विभागों से अपील की कि समिति की सिफारिशों पर तेजी से काम करें, ताकि दिल्ली की हवा सुधारने की दिशा में ठोस परिणाम सामने आ सकें।

जापानी कम्पनियों का निवेश को लेकर प्रदेश में बढ़ा भरोसा- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

(संवाददाता)

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के कहा कि राज्य सरकार की उद्योग हितैषी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। इसी दिशा में मानेसर में डाइकिन एयर कंडीशनर कंपनी द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में लगभग 500 से अधिक युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी चण्डीगढ़ में संत कबीर कुटीर में जापानी डेलिगेशन के साथ बातचीत कर रहे थे। जापानी प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री का विशेष आभार जताया और मुख्यमंत्री ने उन्हें गीता भेंट कर सम्मानित किया।

मानेसर में बनेगा अनुसंधान एवं विकास का प्रमुख केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब जापानी कम्पनियों का निवेश को लेकर भरोसा बढ़ गया है और अब निवेश को लेकर लालायित हैं। जापानी कम्पनी के निवेश के तहत मानेसर में एक अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह अपनी तरह का देश में सबसे बड़ा और पहला केंद्र होगा, जो न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा बल्कि हरियाणा को औद्योगिक हब के रूप में और अधिक मजबूत करेगा।

जापान-हरियाणा संबंधों को मिला नया आयाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2025 में जापान यात्रा के दौरान हुए एमओयू (समझौता ज्ञापन) का यह प्रत्यक्ष परिणाम है। जापान का हरियाणा की नीतियों और औद्योगिक वातावरण पर गहरा विश्वास बढ़ा है और इस निवेश के रूप में सामने आया है। इससे भविष्य में और भी विदेशी निवेश के रास्ते खुलेंगे तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजन होंगे। इस प्रकार मुख्यमंत्री का जापानी दौरा साकार हो रहा है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना है और 'कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस' को कम करना है। इसके लिए सरकार ने अनेक सुधारात्मक एवं आवश्यक कदम उठाए हैं, जिससे उद्योगपतियों को निवेश करने में सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने औद्योगिक निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत सभी आवश्यक एनओसी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है। इससे प्रक्रियाएं सरल और तेज हुई हैं, जिससे विदेशी कंपनियों का राज्य की ओर आकर्षण बढ़ा है।

> **हरियाणा में डाइकिन एयर कंडीशनर कम्पनी करेगी 1000 करोड़ का निवेश**
> **हरियाणा में बनेगा देश का पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र - मुख्यमंत्री**
> **मुख्यमंत्री का जापानी दौरा हुआ साकार**

उद्योगों के अनुकूल नीतियों से राज्य में बढ़ रहा है निवेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई उद्योगों के अनुकूल योजनाओं और सुविधाओं के कारण हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। सरकार आगे भी निवेश को और अधिक बढ़ावा देने व रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, महानिदेशक उद्योग एवं वाणिज्य डा. यश गर्ग, एचएसआईआईडीसी के एमडी सुशील सारवान, मुख्यमंत्री के विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार पवन चौधरी, डाइकिन के एमडी कमलजीत जावा, नागा गोयी, रिसर्च सेंटर के एमडी एंडो सहित कई वरिष्ठ

केसी वेणुगोपाल ने ओम बिरला को लिखा पत्र

पीएम मोदी के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विशेषाधिकार हनन (प्रिविलेज नोटिस) दिया है। अपने पत्र में वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने 18 अप्रैल 2026 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोकसभा के सदस्यों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उनके इरादों पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि यह संसद की गरिमा और सांसदों के अधिकारों का उल्लंघन है। बता दें कि पीएम मोदी का यह संबोधन उस समय हुआ जब लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 पारित नहीं हो सका था। कांग्रेस का आरोप है कि इस भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्षी सांसदों के मतदान और उनकी मंशा को लेकर सीधे तौर पर टिप्पणियां कीं।

अपने पत्र में वेणुगोपाल ने क्या कहा

पीएम मोदी के खिलाफ लिखे इस पत्र में कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने पूरे मामले को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है क्योंकि यह सिर्फ किसी व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि संसद और लोकतंत्र की गरिमा से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सांसदों के अधिकारों की रक्षा और संसद की गरिमा बनाए रखना जरूरी है

, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर कहा कि प्रधानमंत्री का यह संबोधन पहले से तय परंपराओं के खिलाफ था और इसमें विपक्ष पर कई राजनीतिक हमले किए गए।

मध्य प्रदेश में पहली बार रात में लू का अलर्ट

भोपाल/लखनऊ/जयपुर/रायपुर/दिल्ली। देश के मैदानी इलाकों में तेज गर्मी जारी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और दिल्ली में कई जगह पारा 44पार पहुंच गया है। कई जगह लू का भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली बार रात में लू चलने की चेतावनी दी गई है। भोपाल, छिंदवाड़ा, मंडला, नर्मदापुरम, ग्वालियर, रतलाम और छतरपुर समेत 16 जिलों में लू चलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 44.4डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म रहा। गर्मी को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों का टाइम बदल दिया गया है। झारखंड में भी आज से स्कूलों के समय में बदलाव किया है। महाराष्ट्र के गोंदिया और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को पारा 43डिग्री दर्ज हुआ। दोनों जिलों में दोपहर 12:30 बजे से 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद कर दिए गए हैं, ताकि लोगों को चौराहों पर धूप में खड़ा न रहना पड़े। दोनों ही राज्यों में दोपहर 12 से 4 बजे तक धूप में काम करने पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के काम के घंटे बदलकर सुबह 6 से 11 और शाम 4 से 8 बजे कर दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्ट्रीट वेंडर

> **महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी का समय बदला; मजदूर दोपहर में काम नहीं करेंगे**

खरगे के बयान पर गरमाई सियासत- चुनाव आयोग पहुंची भाजपा; कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

कोलकाता। देश के चुनावी माहौल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए हालिया बयान ने एक नया राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है। दरअसल तमिलनाडु में एक रैली के दौरान उन्होंने पीएम की तुलना आतंकवादी से कर दी थी। भाजपा ने इस बयान को न केवल अपमानजनक बताया है, बल्कि इसे चुनावी आचार संहिता का सीधा उल्लंघन करार दिया है। भाजपा की ओर से चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी ने यह साफ कर दिया है कि वे इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष को घेरने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। भाजपा ने इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री पद की गरिमा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता से जोड़ दिया है। भाजपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को एक औपचारिक पत्र लिखकर मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर तत्काल संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। भाजपा का तर्क है कि खरगे का बयान प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग खरगे को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने या अपना बयान वापस लेने का निर्देश दे। इसके साथ ही, भाजपा ने आयोग से यह भी अपील की है कि कानून और चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार खरगे पर चुनावी अभियान से जुड़े उचित प्रतिबंध लगाए जाएं या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि चुनावी मर्यादा बनी रहे। भाजपा केवल चुनावी प्रतिबंधों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि उसने खरगे के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। आयोग को भेजे गए पत्र में भाजपा ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं का जिक्र किया है। भाजपा ने मांग की है कि खरगे के खिलाफ धारा 175, 171/174 और 356(1) के साथ-साथ अन्य लागू होने वाली कानूनी धाराओं के तहत दंडात्मक और नियामक कार्यवाही शुरू की जाए। भाजपा चाहती है कि जांच के दौरान जो भी अपराध पाए जाएं, उनके आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष को कानूनी अंजाम भुगतना पड़े।

बयान के प्रचार पर रोक लगवाने की भी उठाई मांग

भाजपा ने चुनाव आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि खरगे के इस विवादित बयान के प्रचार-प्रसार पर तुरंत रोक लगाई जाए। भाजपा की मांग है कि चुनाव अभियान सामग्री और डिजिटल प्रचार से इस बयान को हटाया जाए। साथ ही, उन्होंने आयोग से आग्रह किया है कि वह मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को इस बयान को अपने मंचों से हटाने का निर्देश दें। भाजपा का मानना है कि इस बयान का निरंतर प्रसार मतदाताओं को गुमराह कर सकता है और चुनावी माहौल को खराब कर सकता है, इसलिए इसे डिजिटल दुनिया से पूरी तरह गायब करना जरूरी है।

खरगे ने मामले में क्या सफाई दी?

विवादों में घिरने के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने बयान पर सफाई देते हुए स्पष्ट किया कि उनका इरादा प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना नहीं था, बल्कि वे उनकी कार्यशैली पर प्रहार कर रहे थे। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों और राजनीतिक दलों को डराने-धमकाने के लिए करते हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के छह महीने के भीतर दशकों पुराना गोरखा मुद्दा सुलझाएंगे - अमित शाह

बंगाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनती है तो दशकों पुराने गोरखा मुद्दे का समाधान छह महीने के भीतर कर दिया जाएगा। शाह ने कहा कि भाजपा के अलावा कोई अन्य दल गोरखाओं की समस्या का स्वीकार्य समाधान नहीं निकाल सकता। उन्होंने दार्जिलिंग जिले के कुर्सियांग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा गोरखाओं की चिंताओं और आकांक्षाओं को समझती है और उनकी शर्तों के अनुसार समाधान खोजने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के छह महीने के भीतर हर गोरखा के चेहरे पर मुस्कान होगी। हम गोरखा मुद्दे का ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे गोरखा शांति से रह सकें। गृहमंत्री ने कहा कि यह समस्या दशकों से बनी हुई है क्योंकि लगातार रही सरकारें दार्जिलिंग पहाड़ियों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश करने में विफल रहीं। शाह ने कहा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने केवल दार्जिलिंग के साथ ही नहीं बल्कि हमारे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है। शाह ने दावा किया कि भाजपा ने इस मुद्दे को सुलझाने की कई बार कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में तीन बैठक बुलाई थीं लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य का कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। उन्होंने कहा, मैंने गोरखा मुद्दे को सुलझाने के लिए तीन बैठक बुलाई थीं लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। यही कारण है कि एक मध्यस्थ नियुक्त करना पड़ा। शाह ने दोहराया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर गोरखाओं की इच्छा के अनुसार इस मुद्दे के समाधान के लिए छह महीने के भीतर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं आज आपसे यह वादा करके जा रहा हूं कि भाजपा की सरकार बनते ही दशकों पुराने गोरखा मुद्दे का समाधान गोरखाओं की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। भाजपा नेता ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कुछ गोरखाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, एसआईआर के दौरान कुछ गोरखाओं के नाम हटा दिए गए थे। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद ये सभी नाम फिर से मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। गोरखा मुद्दा उत्तर बंगाल के गोरखा बहुल पहाड़ी जिलों में पृथक राज्य की पुरानी मांग से जुड़ा है।

भाजपा की राजनीति का आधार वोट बैंक नहीं, बल्कि जन जन का सम्मान व विकास है - मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

चंडीगढ़।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा की राजनीति का आधार वोट नहीं, बल्कि हर नागरिक का सम्मान और उसका विकास है। सरकार तुष्टिकरण को नहीं, बल्कि सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करती है।

यह सरकार वोट बैंक नहीं बनाती बल्कि विकास बैंक बनाती है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता बदलाव के लिए तत्पर है और पंजाब को खुशहाल बनाने की दिशा में कार्य करें। भाजपा की सरकार बनने पर पंजाब में नशे का धंधा करने वाले पंजाब छोड़कर भाग जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह बात मंगलवार को संत कबीर कुटीर चण्डीगढ़ में आए 'राय सिख समाज' के प्रतिनिधि मंडल को सम्बोधित करते हुए कही। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब सरकार ने केवल लुभावने वादे किए, वहीं वर्तमान हरियाणा सरकार ने धरातल पर 'आरक्षण के अंदर आरक्षण' लागू कर यह सुनिश्चित किया है कि राय सिख युवाओं को सरकारी तंत्र और प्रशासन में उनकी आबादी के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिले। जब हम पंजाब की स्थिति से तुलना करते हैं, तो हरियाणा में सुशासन का मॉडल सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। पंजाब में भी राय सिख समाज की बड़ी आबादी है, लेकिन वहां आज भी नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित है।

राय सिख समाज सांझा विरासत, त्याग व बलिदानों का है उदाहरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की 'अंत्योदय' की राजनीति है। संत कबीर कुटीर नाम ही समानता और भाईचारे का प्रतीक है। सरकार हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो राष्ट्र निर्माण में अपना पसीना बहा रहा है। राय सिख समाज केवल पड़ोसी राज्य से आए मेहमान नहीं है, बल्कि उस सांझा विरासत, त्याग व बलिदानों के उदाहरण हैं,

> **सरकार हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो राष्ट्र निर्माण में अपना पसीना बहा रहा**
> **पंजाब की जनता बदलाव के लिए खुशहाल पंजाब बनाने की दिशा में करे कार्य**
> **पंजाब में आज भी नीतियां केवल घोषणाओं तक सीमित**
> **भाजपा सरकार बनने पर नशे का अवैध धंधा करने वाले पंजाब छोड़कर जाएंगे भाग**

जिसने सदियों से इस देश की सीमाओं और इसकी संस्कृति की रक्षा की है। समाज का इतिहास साहस, बलिदान और पुरुषार्थ की अमर गाथा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत बदल रहा है। नये भारत में अब किसी समाज की पहचान उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके वर्तमान, उसके सामर्थ्य और उसके परिश्रम से तय होती है। आज अवसर, मंच और आगे बढ़ने का अधिकार भी सबका है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राय सिख ऐसा समाज है जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, बल्कि हमेशा सत्य और राष्ट्र के लिए डटना सीखा है। इस समाज ने खेतों में पसीना बहाकर, शिक्षा, सेवा और व्यापार के क्षेत्र में मेहनत को अपना धर्म बनाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है और गुरुओं की वाणी को सात्विक चरितार्थ किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सार्थकता तभी है, जब विकास का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य के साथ हरियाणा में राय सिख समुदाय की लंबे समय से चली आ रही पीड़ा को समझा और 'वंचित अनुसूचित जाति' की श्रेणी में शामिल किया। यह केवल कागजों पर किया गया बदलाव नहीं है, बल्कि उन्हें मुख्य धारा में लाने का संकल्प है। सरकार का स्पष्ट संकल्प है, कोई भी समाज, कोई भी वर्ग, विकास की दौड़ में पीछे न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राय सिख समाज की सांस्कृतिक विरासत और सिख पंथ के महान आदर्शों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने सिख गुरुओं के प्रकाश पर्वों को राजकीय स्तर पर मनाकर यह सिद्ध किया है कि हमारे लिए धर्म और संस्कृति का सम्मान सर्वोपरि है।

महिला आरक्षण के मुद्दे पर यूपी सरकार ने 30 अप्रैल से बुलाया विधानमंडल का विशेष सत्र

लखनऊ। संसद में विपक्ष के विरोध के चलते नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक गिरने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष जहां अपने विरोध को जायज ठहराने के लिए विधेयक के प्रविधानों की खामियों को गिना रहा है।

वहीं, भाजपा विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जमीन को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दिया है। इसी के तहत योगी सरकार ने इस मुद्दे पर 30 अप्रैल को विधानमंडल का सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। चूंकि सत्र बुलाने के लिए सदस्यों को न्यूनतम सात दिन पहले सूचना दी जानी आवश्यक है इसलिए सरकार ने सत्र बुलाने के प्रस्ताव को रविवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए स्वीकृति दी। अब सोमवार को यह प्रस्ताव राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। दरअसल, नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पारित न हो पाने पर भाजपा आक्रामक रूप से विपक्ष पर हमलावर हो गई है। रविवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कान्फ्रेंस कर विपक्ष को घेरते हुए कहा था कि संसद में संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान विरोधी दलों का चरित्र भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण जैसा था। यह महिला सम्मान एवं लोकतंत्र दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सरकार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, 30 अप्रैल को आयोजित विधानमंडल के सत्र में सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के साथ-साथ विपक्ष पर हमलावर होगी। चर्चा है कि सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव भी पेश किया जा सकता है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष महिला सशक्तीकरण जैसे अहम मुद्दे पर भी राजनीति कर रहा है। विधानमंडल का यह सत्र सिर्फ विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सीधी राजनीतिक टकराहट का मंच भी बनेगा। महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दोनों पक्ष अपनी-अपनी रणनीति के तहत जनता को संदेश देने की कोशिश करेंगे।

मणिपुर में 5.2 तीव्रता के भूकंप के झटकों से हिली धरती

नई दिल्ली। मणिपुर में मंगलवार सुबह भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, सुबह करीब 5:50 बजे 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र कामजोंग में था और यह जमीन के करीब 62 किलोमीटर नीचे आया, जिसे मध्यम गहराई का भूकंप माना जाता है। झटके इतने तेज थे कि कई लोग नींद से जाग गए, हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या जान-माल की हानि की खबर नहीं है।